

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, उत्तरकाशी।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण-2025

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	विद्यालय का प्रकार उच्चीकृत, राज्य सरकार, एस०एस०ए०	श्रेणी	छात्र सं०	प्र०अ०	स्वीकृत पद			योग	प्र०अ०	कार्यरत शिक्षकों की संख्या				प्र०अ०	रिक्त पद सं०अ०			
							भाषा / अंग्रेजी	विज्ञान / गणित	सामान्य			विषयवर सहायक			योग		भाषा / अंग्रेजी	गणित विज्ञान	सामान्य	योग
												भाषा / अंग्रेजी	गणित विज्ञान	सामान्य						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	रा०उ०प्रा०वि०ढकाड़ा	पुरोला	राज्य सरकार	सुगम	37	0	1	1	1	3	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1
2	रा०उ०प्रा०वि० ज्ञानसू नवीन	भटवाड़ी	एस.एस.ए.	सुगम	31	0	1	1	1	3	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1
3	रा०उ०प्रा०वि०छिबाला	पुरोला	राज्य सरकार	सुगम	28	0	1	1	1	3	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1
4	रा०उ०प्रा०वि०छतरी भानी	नौगांव	एस०एस०ए०	सुगम	25	0	1	1	1	3	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1
5	रा०उ०प्रा०वि०डेरिका	पुरोला	एस.एस.ए.	सुगम	25	0	1	1	1	3	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1
6	रा०उ०प्रा०वि०बलाड़ी	नौगांव	राज्य से०	सुगम	20	0	1	1	1	3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2
7	रा०उ०प्रा०वि०बेस्टी	पुरोला	राज्य सरकार	सुगम	18	0	1	1	1	3	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1
8	रा०क०उ०प्रा०वि० बल्डोगी	चि०सौ०	एस०एस०ए०	सुगम	12	0	1	1	1	3	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1
9	रा०क०उ०प्रा०वि० धरासू	चि०सौ०	राज्य सरकार	सुगम	12	0	1	1	1	3	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1
10	रा०उ०प्रा०वि०दियाडी	नौगांव	एस०एस०ए०	सुगम	12	0	1	1	1	3	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1
11	रा०उ०प्रा०वि० भद्रासू	मोरी	राज्य	सुगम	7	0	1	1	1	3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2
12	रा०क०जू०हा० भवान	डुण्डा	एस०एस०ए०	सुगम	6	0	1	1	1	3	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1
13	रा०उ०प्रा०वि०रिखांड	नौगांव	राज्य से०	सुगम	4	0	1	1	1	3	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1
						0	13	13	13	39	2	4	9	9	24	0	9	3	3	15

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	विद्यालय का प्रकार उच्चीकृत, राज्य सरकार, एस०एस०ए०	श्रेणी	छात्र सं०	प्र०अ०	स्वीकृत पद			योग	प्र०अ०	कार्यरत शिक्षकों की संख्या				प्र०अ०	रिक्त पद सं०अ०			
							भाषा / अंग्रेजी	विज्ञान / गणित	सामान्य			विषयवर सहायक			योग		भाषा / अंग्रेजी	गणित विज्ञान	सामान्य	योग

नोट— प्रकाशित रिक्तियों में स०अ०/प्र०अ० दोनों की रिक्तियां सम्मिलित हैं। आर०टी०ई० मानकानुसार छात्र संख्या मानक पूर्ण न होने के कारण प्रधानाध्यापक के पद सृजित नहीं हैं। अतः प्रधानाध्यापकों को विषय संयोजन के आधार पर विषय अध्यापक नियुक्त माना गया है तथा विकल्प चयन में प्रथम वरीयता प्रधानाध्यापक को दी जायेगी। रिक्तियों का सत्यापन सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारियों एवं उनके पटल सहायकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् उक्त रिक्तियों को प्रकाशित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई रिक्ति किन्हीं कारणों से छूट गयी हो अथवा किसी विद्यालय में पद रिक्त हो या किसी विद्यालय की सुगम/दुर्गम श्रेणी त्रुटिवश गलत अंकित हो गयी हो, तो संज्ञानित होने एवं प्रमाण उपलब्ध कराये जाने पर समिति द्वारा रिक्तियों को सम्मिलित/विलोपित किया जा सकेगा। (पदों का निर्धारण आर०टी०ई० मानकानुसार किया गया है)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
उत्तरकाशी।